सचिका सं0–7/MCH -35-04/2026-27– 160 (स्वा0)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 13/04/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गयाजी में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू0 1,65,00,000/– (रूपये एक करोड़ पैंसठ लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–1017(1), दिनाक–28.08.2017 एवं सकल्प सख्या–877(1), दिनाक–27.09.2022 के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गयाजी मे इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृति/ इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू0 1,65,00,000/– (रूपये एक करोड पैसठ लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन माग स0–20 के अतर्गत स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाए–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0006–मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया विपत्र कोड–20-2210-01-110-0006 अतर्गत छात्रवृति/वजीफा (34–01) मद मे उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गयाजी होगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, मगध प्रमंडल, गयाजी होगे।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एव स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, गयाजी से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि(2), दिनाक–17.04.1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(8) प्रारूप में सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका स0–7/MCH -35-04/2026-27 के पृष्ठ–03/टि0 पर प्राप्त है।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

13/4/26

(शम्भु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – 7 / MCH -35-04/2026-27- 160(7.B) / स्वा0, पटना, दिनांक – 13/04/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गयाजी / जिला पदाधिकारी, गयाजी / क्षेत्रीय अपर निदेशक, मगध प्रमंडल, गयाजी / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.4.26

सरकार के अपर सचिव